न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/317/2016

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र देवा गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती झूमा पत्नि देवा गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. बगदु कुमारी पुत्री गोपाल जाट निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा हाल सरपंच ग्राम पंचायत बरण
2. किशनपुरी गोस्वामी सचिव ग्राम पंचायत बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. जगदीश नाथ पुत्र धन्ना नाथ निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. ईश्वरनाथ पुत्र भीमनाथ निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. धन्ना पुत्र कुका नाथ निवासी रघुनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. शोभा लाल पुत्र देबी लाल जाट निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. लेहरू लाल पुत्र अर्जुन लाल तेली निवासी डोडवानियों का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, बनेडा जरिये प्रबंधक

रेस्पोडण्ट

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के
प्रकरण संख्या 79 / 2016 निर्णय दिनांक 25.10.2016
अधिवक्तागण :–
1.श्री ओ पी पटवारी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थीगण 1 से 7 अनुपस्थित
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.1.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद रूगनाथपुरा पटवार हल्का बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा में अन्य आराजी के साथ–साथ आराजी नम्बर 845 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 846 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी सरकारी रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 838 से सटी हुई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात से विपक्षी संख्या 1 से 7 का कोई संबंध नहीं है लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 7 जो कि प्रार्थीगण से अकारण रंजिश रखते है व प्रार्थी को नुकसान पहूॅचाना चाहते है, प्रार्थीगण की उक्त भूमि को हडपना चाहते है। इसी नियत से विपक्षीगण द्वारा सामुदायिक भवन बनाने की आड लेकर प्रार्थीगण की आराजी के सामने आम रास्ते की भूमि पर प्रार्थी की उक्त आराजियात पर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण करना चाहते हैं। जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं है।

2. दिनाक 17 सितम्बर 2016 को विपक्षीगण मौके पर आये व प्रार्थीगण की भूमि हडप करने की नियत से प्रार्थी

(कैलास च... ...खारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की आम रास्ते की तरफ लगी थोहर की बाड को धवस्त करने लगे व आम रास्ते की भूमि पर प्रार्थीगण की आराजियात पर कब्ज करने की नियत से मौके पर अवैध निर्माण सामग्री डलवा दी , इस पर प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को मना किया परन्तु वे नही माने । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रास्ते , नदी नाले व पेटे की भूमि पर अतिक्रमण पर रोक लगा रखी है लेकिन विपक्षी संख्या 1व 2 जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव है के द्वारा रास्ते की भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण का रास्ते की भूमि की आड में प्रार्थीगण को उसके खातेदारी भूमि से बेदखल करने एवं अवैध निर्माण करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का को भी शिकायत की गई परन्तु पटवार हल्का द्वारा भी विपक्षीगण के नाजायज दबाव एवं प्रभाव में होने से किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया । यदि प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर जबरन किसी प्रकार का निर्माण कर लिया जायेगा अथवा प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी व अनेकानेक वाद बढ जायेगें। अतः वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार कर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजियात पर या उसके किसी भी भूभाग से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे एवं प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करें एवं न ही किसी अन्य से करावें व न ही किसी प्रकार का निर्माण आदि करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना

(कैलाश चन्द्र गुर्जर / नखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्क बरण बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा में अन्य आराजी के साथ-साथ आराजी नम्बर 845 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 846 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त आराजियत के पास ही आराजी नम्बर 838 गैर मुमकिन रास्ता है। उक्त आराजियात से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 7 का कोई सरोकार नहीं है लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 जो कि प्रार्थीगण से अकारण रंजिश रखते है व प्रार्थी को नुकसान पहूॅचाना चाहते है, अपीलाण्ट की उक्त भूमि को हडपना चाहते है। इसी नियत से रेस्पोडेण्ट द्वारा सामुदायिक भवन बनाने की आड लेकर अपीलाण्ट की आराजी के सामने आम रास्ते की भूमि पर जबरन अवैध निर्माण कर रहे हैं जिसका रेस्पोडेण्ट को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद भी उक्त अपीलाधीन विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है । जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा आधिपत्य की भूमि की सीमाज्ञान पटवार हल्का द्वारा कराया गया तथा सीमाज्ञान में लगभग 15 फिट भूमि पर जो निर्माण है वह अपीलाण्ट के हक एवं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

खातेदारी अधिकार की भूमि में है जिसे हटाया जाना अति आवश्यक है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह अंकन किया है कि सामुदायिक भवन का निर्माण आराजी संख्या 838 में किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि सामुदायिक भवन का निर्माण आराजी संख्या जो राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता किस्म की भूमि में निर्मित होकर अपीलाण्ट के खातेदारी की भूमि में भी किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि में किये गये अवैध निर्माण को हटाया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

8. हमनें अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि उनकी खातेदारी व हक अधिकार की ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्क बरण बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा में अन्य आराजी के साथ–साथ आराजी नम्बर 845 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 846 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि के पास स्थित आराजी नम्बर 838 गैर मुमकिन रास्ता एवं अपीलार्थीगण की भूमि में भी अतिक्रमण कर जबरन सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है।

9. जबकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2016 में तहसीलदार बनेडा की मौका निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए अंकन किया गया है कि '' मौका निरीक्षण रिपोर्ट से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामुदायिक भवन का निर्माण आराजी नम्बर 838 में हो रहा है । किसी की खातेदारी में निर्माण नहीं किया जा रहा है। '' राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत नवीनतम मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भी

(कैलाश चन्द्र ...वारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

यही अंकन किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी नम्बर 845 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 846 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि के पास स्थित आराजी नम्बर 838 गैर मुमकिन रास्ता एवं अपीलार्थीगण की भूमि में भी अतिक्रमण कर जबरन सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 द्वारा जबरन निर्माण कार्य करना एवं पटवारी हल्का के भी उनके दबाव में होने का कथन किया गया है।

10. ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजी संख्या 845 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 846 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाबत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना विधिसम्मत पाते है। चूंकि यदि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से अपीलार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि अपीलार्थीगण की ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्क बरण बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित आराजी नम्बर 845 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 846 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार से निर्माण कार्य नही करें एवं अपीलार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाडा

राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.31 14:52:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: